राजस्थान सरकार
निदेशालय गोपालन

क्रमांक : एफ.वी.4(4)निगो/प्लान/ब.घो./गो.अ.यो./2018/4524 दिनांक : 26.2.2018

गोअभ्यारण्य योजना हेतु दिशा निर्देश

1. **पृष्ठभूमि :–**

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस के जवाब में गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बीकानेर जिले की तहसील बीकानेर के ग्राम नापासर में 5 करोड़ रूपये की लागत से गोअभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिसमें वृद्ध, अपंग/निराश्रित व गौ–तस्करी से मुक्त करवाये गये गौवंश की संस्थागत स्तर पर उचित भरण पोषण, समुचित उपचार, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया जायेगा।

2. **गोअभ्यारण्य प्रबंधन समिति के चयन की पात्रता :–**

गोअभ्यारण्य स्थापना के लिए आवेदक संस्था द्वारा निम्न मापदण्ड पूर्ण किये जाने आवश्यक है :–

- राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत गौशाला अथवा गौसदन, पिंजरापोल एवं स्वायत्तशाषी संस्था द्वारा संचालित गौशाला अथवा गौपुनःर्वास केन्द्र के संचालक गोअभ्यारण्य हेतु पात्र माने जायेगें।
- संस्था के पास गत तीन वर्षो में कम से कम 1000 गौवंश निरन्तर रहा हो तथा गौवंश का पालन पोषण किये जाने का अनुभव हो। संस्था को राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई जायेगी जिस पर गौवंश के लिए पशुबाड़े, चारा भण्डार, आवास व्यवस्था, पानी की टंकी/ट्यूबवेल, खेली, आदि का नियमानुसार निर्माण अनुमोदित कार्यकारी संस्था द्वारा गोअभ्यारण्य प्रबन्धन समिति की देखरेख में करवाया जायेगा। उक्त भूमि राज्य सरकार के ही अधीन रहेगी।
- गोअभ्यारण्य प्रबंधन हेतु संस्था की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तीन वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार गो सेवा कार्यो पर संस्था द्वारा किये गये व्यय के आधार पर कार्य संतोषप्रद एवं प्रगतिशील होना चाहिये। संस्था के पास लगभग 50 लाख का बैंक बैंलेंस होना चाहिए।
- गोअभ्यारण्य प्रबंधन द्वारा संधारित प्रत्येक गौवंश की पहचान हेतु टैग लगाना अनिवार्य होगा। कोड का आवंटन एवं टैगिंग का कार्य **गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि नियम, 2016** के अन्तर्गत निदेशालय गोपालन द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देशो के अनुरूप जिले का कोड/गोअभ्यारण का कोड/गौवंश का नंबर दिया जायेगा।

3. **गोअभ्यारण्य संचालन हेतु शर्तें :–**

- चयनित आवेदक संस्था को गोअभ्यारण्य प्रबंधन हेतु विस्तृत कार्ययोजना (DPR) संबंधित संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें भौतिक एवं वित्तीय प्रबंधन का विस्तार से उल्लेख होगा।
- जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग आवेदन की पूर्ण जांच कर प्रस्ताव को जिला स्तरीय गोपालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
- गोअभ्यारण्य विकसित करने हेतु संस्था प्रबंधन को राज्य सरकार (संबंधित जिला कलक्टर) के साथ सहमति पत्र (एग्रीमेंट) हस्ताक्षरित करना होगा तथा एग्रीमेन्ट के आधार पर कम से कम 5 वर्ष तक गोअभ्यारण्य को संचालित करने का दायित्व निर्वहन करना होगा। संस्था की कार्य प्रगति रिपोर्ट संतोषप्रद होने की स्थिति में आगामी पांच वर्षों के लिए वृद्वि का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

26/2/2018

- गोअभ्यारण्य प्रबंधन द्वारा राज्य सरकार (जिला कलक्टर) के साथ उक्त शर्तों को स्वीकार करने एवं औपचारिक अनुबन्ध निष्पादित करने के उपरान्त ही अनुमोदित कार्यकारी संस्था/विभाग को राशि स्वीकृत की जायेगी।
- राज्य सरकार गोअभ्यारण्य प्रबंधन की प्रगति असंतोषजनक होने की स्थिति में संबंधित संस्था का एग्रीमेन्ट किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर समाप्त कर सकती है। संस्था द्वारा अपरिहार्य परिस्थिति में कार्य छोडने की स्थिति में राज्य सरकार को कम से कम तीन माह पूर्व सूचित करना अनिवार्य होगा तथा वैकल्पिक व्यवस्था होने तक प्रबंधन जारी रखना होगा।
- गोअभ्यारण्य के कार्य सम्पादन हेतु अनुमोदित विभाग को आधारभूत नवीन निर्माण कार्य हेतु सहायता दी जायेगी।
- सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। इन परिसम्पत्तियों का बेचान/हस्तान्तरण/खुर्दबुर्द किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकेगा।
- स्वीकृत एवं प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य का नाम, विवरण, लागत राशि, कार्य अवधि आदि के विवरण का एक बोर्ड सम्बन्धित गोअभ्यारण्य के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाना अनिवार्य होगा।

4. **<u>योजना के अन्तर्गत अनुमत निर्माण :–</u>**
   - **आधारभूत सुविधाएं एवं पक्के निर्माण**
     1. शेड या गौ–आवास निर्माण।
     2. चारा भण्डार गृह।
     3. पानी की खेली निर्माण।
     4. चारा ठांण निर्माण।
     5. पानी की टंकी/टांका निर्माण/ट्यूबवेल।
     6. पशु चिकित्सा संस्था का निर्माण।
     7. बाड़े/शेड़ के अन्दर खरन्जा निर्माण (खड़ी ईटों का)।
     8. चारदीवारी निर्माण।
     9. गोपालक आवास निर्माण।

     योजना के अन्तर्गत उपरोक्त अनुमत निर्माण कार्य परिशिष्ट 1 के अनुसार कराये जा सकेंगे।

   - गोअभ्यारण्य में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु निम्न में से किसी एक विभाग के माध्यम से गोअभ्यारण्य में निर्माण करवाया जा सकता है।
     - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
     - कृषि विपणन बोर्ड।
     - सार्वजनिक निर्माण विभाग।
     - स्वायत्त शासन विभाग।
     - स्वच्छ परियोजना।

5. **<u>निर्माण कार्यो के चुनाव की प्रक्रिया</u>:–**
   - गोअभ्यारण्य प्रबंधन द्वारा स्वयं ही आवश्यकता के आधार पर कौनसा नवीन निर्माण कार्य कराना है, तय किया जाकर कार्य का प्रस्ताव तथा उस पर निर्माण का तकमीना पंचायत समिति/जिला परिषद/नगरपालिका/पी.डब्ल्यू.डी./कृषि विपणन/स्वच्छ परियोजना के अभियन्ता से तैयार कराकर जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा।

- समस्त प्रस्तावों को जिला स्तरीय गोपालन समिति के समक्ष संबंधित संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा प्रस्तुत करना होगा। जिला गोपालन समिति के अनुमोदन के पश्चात् ऐसे निर्माण कार्यों की स्वीकृति सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जारी की जायेगी।
- योजना में पशु चिकित्सा संस्था गोअभ्यारण्य प्रबंधन को केवल एक इकाई ही स्वीकृत की जायेगी, जबकि अन्य निर्माण कार्य यथा गोपालक आवास गृह निर्माण, शेड अथवा गो आवास गृह, चारा भण्डार गृह, पानी की खेली, चारा खेली, पानी का टांका/ट्यूबवेल, खरंजा, तारबंदी का निर्माण कार्य एक या एक से अधिक इकाई के रूप में लाभार्थी गोअभ्यारण्य प्रबंधन की आवश्यकता व संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुऐं जिला गोपालन समिति द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी।

6. <u>जिला स्तरीय गोपालन समिति :–</u>

"जिला स्तरीय गोपालन समिति" का स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

जिला कलक्टर	: अध्यक्ष
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	: सदस्य
कोषाधिकारी	: सदस्य
जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग	: सदस्य सचिव
जिला उप निदेशक, कृषि	: सदस्य

सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी का प्रतिनिधि इस समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहेगा। **गोअभ्यारण्य प्रबंधन समिति का चयन एवं राशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करने व योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय गोपालन समिति उत्तरदायी होंगी।**

7. <u>स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया</u> :–

- गोअभ्यारण्य प्रबन्धन द्वारा वांछित निर्माण कार्यो की समग्र योजना तैयार कर आवश्यकता के आधार पर किये जाने वाले निर्माण/विकास कार्यो को चिन्हित किया जायेगा।
- निदेशालय गोपालन द्वारा अनुमोदित गौवंश के लिए शेड, चारा भण्डार गृह, पानी का टांका, तारबंदी आदि के निर्माण की अधिकतम अनुमानित दर **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है, जिसको एकल रूप में अथवा गुणात्मक रूप में, एक या एक से अधिक कार्यो को जिला स्तरीय गोपालन समिति द्वारा ही स्वीकृत किया जाना है।
- यदि गोअभ्यारण्य प्रबन्धन अतिरिक्त निर्माण कार्य करवाना चाहता है तो कार्य को चिन्हित कर गौवंश की संख्या के आधार पर निर्धारित अधिकतम प्रावधित राशि की सीमा से अधिक राशि का वहन स्वयं को करना होगा तथा अनुमत कार्यों का तकमीना एवं ड्राईंग अभियन्ता से तैयार करवाकर जिला गोपालन समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना होगा।
- जिला स्तरीय गोपालन समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावित कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिला कलक्टर द्वारा जारी की जायेगी।
- इस योजना के साथ गोअभ्यारण्य प्रबन्धन अन्य प्रचलित योजनाओं जैसे गुरू गोलवलकर जन सहभागिता योजना, मनरेगा, सांसद एवं विधायक कोष आदि का लाभ भी ले सकेगी परन्तु एक ही निर्माण पर दो जगहों से वित्तीय स्वीकृति एवं राशि किसी भी स्थिति में स्वीकृत नहीं की जायेगी।
- योजना में यथासंभव ऐसे कार्य लिये जावेंगे जो उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाये। नवीन कार्य तभी स्वीकृत किये जा सकेंगे जब पहले स्वीकृत कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उनकी यू.सी. प्राप्त हो चुकी हो।
- जिला स्तर पर स्वीकृत एवं आवंटित राशि की सूचना जिला कलक्टर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय गोपालन को नियमित रूप से दी जावेगी तथा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि निर्धारित राशि से अधिक की स्वीकृतियां जारी नहीं की जावे।